संख्या–2736 / पाँच–6–2014–30बजट / 13

प्रेषक,

पी.के.पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2014

विषयः– जिला पुरूष / महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल के भवन निर्माण के मानकीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या–7267 / 17फ / नि0नि0अ0 / 2014–15, दिनांक 05.12.2013 व शासनादेश संख्या–1383 / पॉच–1–10–5(41) / 07, दिनांक 24.11.10 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ई–8–1266 / दस–2013–89 / 2004, दिनांक 10.09.13 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जिला पुरूष / महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल के भवन निर्माण की लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.08.13 के प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0 25.19 लाख (रूपया पच्चीस लाख उन्नीस हजार मात्र) मानक लागत मूल्यांकित की गयी है।

अतएव लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.08.13 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर प्रदेश के जिला पुरूष / महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल के भवन निर्माण के मानक आगणन की लागत रू0 25.19 लाख (रूपया पच्चीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. प्रायोजना की मानकीकृत अनुमोदित लागत का उपयोग केवल बजट प्रावधान हेतु ही किया जा सकेगा तथा मानकीकृत लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का आधार नही होगी।
2. प्रायोजना के निर्माण हेतु उपयुक्त एवं निःशुल्क भूमि प्राप्त करने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अधीक्षण अभियन्ता, स्वास्थ्य भवन लखनऊ पर होगा। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात स्थल की आवश्यकतानुसार प्रायोजना प्रस्ताव का गठन कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
3. रोगी आश्रय स्थल / रैन बसेरों का संचालन संबंधित चिकित्सालय में उपलब्ध स्टाफ से कराया जायेगा तथा इस हेतु अतिरिक्त स्टाफ की मॉग नहीं की जायेगी।
4. रोगी आश्रय स्थल / रैन बसेरों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, उपलब्ध विभागीय बजट से किया जायेगा।
5. मानकीकृत भवनों के मानचित्र एवं मात्रा में कोई वृद्धि / परिवर्तन नहीं होता है तथा शिड्यूल आफ रेट्स बदलने के कारण मूल स्वीकृत लागत में वृद्धि होती है तो ऐसे आगणनों का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से परीक्षण कराकर नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे प्रकरणों में पुनः व्यय वित्त समिति की आवश्यकता नहीं होगी।

2 / –

6. शेष शर्ते वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ई–8–1266/दस–2013–89/2004, दिनांक 10.09.13 व शासनादेश संख्या–1383/पॉच–1–10–5(41)/07, दिनांक 24.11.10 की यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

/

(पी.के.पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या–2736 (1)/पॉच–6–14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक नियोजन एव बजट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2– अपर निदेशक (विद्युत)/अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

3– प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग व्यय वित्त समिति सचिवालय लखनऊ।

4– वेबमास्टर/गार्ड फाइल/मूल पत्रावली।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।